कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–बहराइच।

सार्वजनिक नीलामी सूचना सं0–01/2018–019

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख अभियन्ता (यॉ0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ (नलकूप पूर्व) परिक्षेत्र के नलकूप मण्डल–गोण्डा के नियंत्रणाधीन नलकूप खण्ड–बहराइच में उपलब्ध विघटित सरयू नहर खण्ड–8 बहराइच की निष्प्रयोज्य भारी भूमिगत मशीनों/डीजल टैकरों की सार्वजनिक नीलामी नीलामी समिति द्वारा अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड–बहराइच के कार्यालय प्रांगण में दिनांक–28.11.2018 को प्रातः 11बजे की जायेगी। मशीनों/डीजल टैंकर का विवरण निम्नानुसार हैः–

लाट संख्या	सामान का विवरण	स्थान जहॉ सामान उपलब्ध है।	धरोहर धनराशि मूल्य (रू0 में)	नीलामी प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)
1	2	3	4	5
लाट सं0–1	1–Dozer D8K No.1(M) 2- D50 A15 Dozer No.2 3- D50 A15 Dozer No.3 4-Air Compressor (2 No.) 5-Diesel Tanker 16000/24000 6-T.D. Air Compressor (Condum) 7- P&H Dragline No.3	शंकर पुर कालोनी ,, ,, ,, ,, ,, इमामागंज ब्रान्च नानपारा	1,05000.00	1000.00
लाट सं0–2	1–Dozer D8K No.1 2- D50 A15 Dozer No.8 3- Diesel Storage Tank 13500 Liter. 4-Diesel Storage Tanker 5-Diesel M.S. Tank 12 Kl. (4No.) 6-H.M. Draagline No.1(H.M.101ME)	शंकर पुर कालोनी ,, ,, ,, नानपारा कालोनी नं–2 राप्ती लिंक नहर शंकरपुर	1,03000.00	1000.00
लाट सं0–3	1–H.M.372 Backhoe/shavell 2- Hippo Dumper No.2 (Condum) 3- Hippo Dumper No.15 (Condum) 4-Hippo Dumper No.8 (Condum) 5- H.M. Draagline No.2 6 Hippo Dumper No.9 (Condum)	राप्ती लिंक नहर शंकरपुर कल्पीपारा स्टोर ,, ,, राप्ती लिंक नहर शंकरपुर कल्पीपारा स्टोर	1,53,500.00	1000.00
लाट सं0–4	1–P&H Crane 10 Ton 2- L&T Pock Land No.1 (Condum) 3- Hippo Trailler USX 3080 4-Hippo Dumper No.4(Condum) 5- Hippo Dumper No.7(Condum) 6 Water Tanker Small Size 7-P.S. Tank Size 3.75x1x1.50x2.50M.	कल्पीपारा स्टोर ,, ,, ,, ,, शंकरपुर कालोनी ,,	1,00,000.00	1000.00
लाट सं0–5	1–Fooden Traailles USX 3982 2- Colse Crane 80/88 3- L&T Pockland No.2 (Condum) 4-Escort Crane 3 Ton 5- Diesel M.S. Tank 1350 Kl. 6- Tanker USR 1686 (Condum)	शंकरपुर कालोनी ,, ,, ,, ,, कल्पीपारा स्टोर	1,12,000.00	1000.00

नीलामी की संक्षिप्त शर्ते निम्नवत हैः–

1. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति /फर्म को पैन नम्बर एवं जिलाधिकरी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
2. नीलामी में केवल टोकन धारक ही भाग ले सकेंगें, इसलिए नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म को प्रत्येक आईटम के लिए तालिका में अंकित धरोहर धनराशि (लाटवार अलग–2)अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड–बहराइच के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, आधारकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं दो फोटो अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व तक कार्य दिवस तथा कार्यालय समय में जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा। यह धनराशि नीलामी समाप्त होने पर समायोजित /वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक प्रपत्र दिनांक 20.11.2018 से नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व तक कार्य दिवस तथा कार्यालय समय में उपरोक्तानुसार मूल्य (नगद) जमा करके प्राप्त करना होगा।

क्रमशः–2/पर

4. नीलामी का विवरण वेबसाईट www.Bahraich.nic.in तथा सिचांई विभाग की वेबसाईट www.idup.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
5. मशीनों/टैंकरों की उपरोक्त मात्राएं अनुमानित है तथा यह घट–बढ़ सकती है।
6. नीलामी की विस्तृत नियम व शर्ते नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व नीलामी स्थल पर सूचित कर दी जायेगी ।
7. बोलीदाताओं को प्रस्तावित नीलामी हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा । सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1, नियम 260 के परिशिष्ट 19डी0 में उल्लिखित नियमों के अधीन होगी।
8. प्रस्तावित नीलामी से सम्बन्धित निष्प्रयोज्य सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित स्थल पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/भण्डारपाल से सम्पर्क कर नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व तक किया जा सकता है। नीलामी **''जो है , जहॉ है और जैसे है''** के आधार पर की जायेगी तथा उच्चतम बोलीदाता को नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त जमा करना होगा।
9. नीलामी के अन्तिम घोषणा के बाद प्राप्त किसी बोली पर विचार नही किया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता को सामग्री के मूल्य का 25प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में नीलामी के तीन दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी के पक्ष में तथा कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और नीलामी द्वितीय अथवा तदानुक्रम में अगले बोली दाता के पक्ष में की जायेगी।
10. नीलामी स्वीकृति की सूचना सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को दी जायेगी। जिसके पश्चात सामाग्री की शेष धनराशि अद्योहस्ताक्षरी के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के पश्चात ही स्थल से नीलाम सामग्री की सुपुर्दगी दी जायेगी । बोली स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सुपुर्दगी न लेने पर जमा 25प्रतिशत धनराशि जब्त कर बोली/नीलामी को निरस्त कर दिया जाएगा।
11. असफल बोलीदाताओं की जमा टोकन मनी नीलामी के बाद उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
12. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है, यह माना जायेगा की बोलीदाता नीलामी सम्बन्धी नियम/शर्तो को भलिभॅाति जानता है।
13. नीलामी की निर्धारित तिथि को किसी कारण अवकाश घोषित हो जाने पर नीलामी की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समयानुसार सम्पन्न होगी।
14. नीलामी में कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली को बिना कारण बतायें अस्वीकार/निरस्त करने अथवा नीलामी स्थगित करने का अधिकार नीलामी अध्यक्ष के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
15. नीलामी की स्वीकृति सक्षम स्तर से न मिलने की दशा में उच्चतम/सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गयी 25प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
16. उक्त नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र बहराइच सदर होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–बहराइच।

प्रेषकः–

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–बहराइच

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जल संपर्क विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक /न0ख0ब0/निष्प्रयोज्य सामाग्री/नीलामी/ दिनांक

विषयः– सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2018–19 का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

नलकूप खण्ड–बहराइच में निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी से सम्बन्धित सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2018–019 छः प्रतियों में (सी0डी0) सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि इस सूचना का प्रकाशन लखनऊ/बहराइच में प्रकाशित हिन्दी दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में दो दिनों के अन्तराल में प्रकाशित कराने तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कराने का कष्ट करें, तथा समाचार पत्रों की एक–एक प्रति इस कार्यालय को रिकार्ड हेतु प्रेषित कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार
नीलामी सूचना छः प्रतियों में
(सी0डी0 सहित)

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–बहराइच

<u>पत्रांक /न0ख0ब0/निष्प्रयोज्य सामाग्री/तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मा0 लोकायुक्त उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (यॉ0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदया, बहराइच।
4. मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) सिंचाई विभाग उ0प्र0 फैजाबाद।
5. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल–गोण्डा।
7. एन0आई0सी0 बहराइच को सी0डी0 सहित नीलामी सूचना www.Bahraich.nic.in तथा सिचांई विभाग की www.idup.gov.in पर अपलोड कराने हेतु ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी बहराइच।
9. अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड–3,4,5,7 /सरयू नहर खण्ड–प्रथम बहराइच।
10. अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड–नानपारा/सरयू नहर खण्ड नानपारा।
11. खण्डीय लेखाधिकारी नलकूप खण्ड–बहराइच।
12. सहायक अभियन्ता 1,2,3,एवं 4 नलकूप खण्ड–बहराइच।
13. नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड–बहराइच।